

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग जिला-बुरहानपुर (म.प्र.)

प्रारंभिक सूचना

तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013)

17-2-21

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं 1 में बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु ग्राम नीमगांव तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है,

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि अधिसूचना में अंतरवलित लोक प्रयोजन की प्रकृति का, योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश का और धारा 43 के अधिन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन के प्रयोजन के प्रशासक की विशिष्टियों के कथन के आधार पर भी होगा। निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित योजना हेतु अर्जन किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम-नीमगांव

तहसील-बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

कं	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टर में		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	0.05	0.00	0.05

अनुसूची (2)

बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण। तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

स. कं.	भूमि धारक का नाम	खसरा कं	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	कुल रकबा	सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम -नीमगांव								
1	सुवर्णा बाई पति बलीराम निवासी शाहपुर भूमि स्वामी	22	0.50	0	0.50	0.05	0	0.05
योग			0.50	0	0.50	0.05	0	0.05

नोट- अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृद्धि या कमी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

(प्रवीण सिंह)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, बुरहानपुर,